

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 14/2019

प्रार्थी

श्री नारायणलाल पुत्र श्री लालाजी जाति पुरोहित निवासी नानरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत भावरी जरिए सरपंच ग्राम पंचायत भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाशजी अग्रवाल निवासी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति:-

1. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक 22.10.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, भावरी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 32304 दिनांक 24.08.2011 क्षेत्रफल वर्गफीट 159.5 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 144 व 156 के तहत नियम विरुद्ध जारी किया गया है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा ने वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमों के विपरित पट्टा जारी किया है। पंचायत के अभिलेख में भूमि के विक्रय के संबंध में मिसल दायर संख्या 43 दिनांक 04.06.2007 को दर्ज की गई है तथा पट्टे में भी मिसल संख्या 43 दिनांक 04.06.2007 दर्ज है आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को विवादित पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 144 व 156 के तहत जारी किया गया है, जो नियम विरुद्ध जारी किया गया है। यह है कि प्रार्थी ग्राम नानरवाडा का निवासी है एवं प्रार्थी की सरूपगंज में राजकीय चिकित्सालय का भावरी

जिला कलक्टर, सिरोही

रोड पर भवन आया हुआ है जिसमें मेडिकल स्टोर चलता है। उपरोक्त भवन के पूर्व दिशा में गली आई हुई है जिसके बाद में अप्रार्थी संख्या दो का पेट्रोल पम्प है। साथ ही श्री ओमप्रकाश व उसके भाई श्री मोहनलाल ने उनके भाई श्री बाबूलाल से जरिए बेचान खरीद किया गया पट्टा संख्या 281 की भूमि के पट्टे में तथा बेचान दस्तावेज में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि पेट्रोल पम्प के पश्चिम दिशा में खालसा भूमि आई हुई है। उक्त गली की भूमि पर श्री ओमप्रकाश ने अवैध कब्जा करने की गरज से पंचायत से मेल मिलाप कर फर्जी रूप से पट्टा बना लिए है। यह है कि उपरोक्त गली में पूर्व में रास्ते में दो पट्टे पूर्व ग्राम पंचायत ने पट्टा संख्या 68 व 69 सन् 1989-90 में श्री ओमप्रकाश व श्री मोहनलाल के नाम से बनाए थे जो पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा की गई निगरानी में दिनांक 22.07.1997 को श्रीमान द्वारा दोनों पट्टे वाद सुनवाई खारिज किए गए क्योंकि दोनों पट्टे रास्ता भूमि में बने थे। यह है कि उक्त पट्टे निगरानी में खारिज होने पर श्री मोहनलाल व श्री ओमप्रकाश ने सिविल न्यायालय में वाद संख्या 17/2000 पेश किया, जो दावा भी खारिज हुआ। यह है कि उक्त खारिज किए गए पट्टों वाली भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो ने अपने स्वयं व परिवार के लोगों के नाम कुल पांच पट्टे प्रत्येक 150 वर्गफीट के रास्ता की भूमि पर ग्राम पंचायत से मेल मिलाप कर जारी करवाए गए है, जो नियमों को ताक में रखकर तथा पूर्व में पट्टे निरस्त किए जाने के बावजूद पुनः पट्टे जारी कर कर न सिर्फ श्रीमान के पूर्व आदेश की अवहेलना की है बल्कि श्रीमान के आदेश को ताक में रखकर ग्राम पंचायत भावरी द्वारा दिनांक 05.11.2009 को पट्टे जारी किए गए है जो नियम विरुद्ध है। यह है कि सार्वजनिक चिकित्सालय व सार्वजनिक उपयोगिता के पेट्रोल पम्प के पीछे पर्याप्त रास्ता हेतु छोड़ी गई गली पर बनाया गया पट्टा अवैध है। पंचायत नियमों में सड़क सीमा के दोनों ओर 50 फीट जमीन पर पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है एवं पूर्व के निर्णय से ग्राम पंचायत व अप्रार्थीगण नए पट्टे देने से बाधित है। इस संबंध में इनके द्वारा विधिक दृष्टांत AIR 2021 SC Page 816 प्रस्तुत किया। अतः अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 32304 दिनांक 24.08.2011 नियम विरुद्ध है, जिसे खारिज किया जाना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानी में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 144 व नियम 156 के तहत जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध में उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या-एक द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियमों के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है।

अप्रार्थी संख्या-दो द्वारा इस संबंध में कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नहीं की गई है। यह है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ उसके भवन का कोई पट्टा उपलब्ध नहीं करवाया है जिससे उसका विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने का अप्रार्थी संख्या दो अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। यह है कि उक्त पेट्रोल पम्प के पास ग्राम पंचायत भावरी की आबादी भूमि आई हुई है जिसका नियमानुसार पट्टा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया है। उक्त भूमि के आगे खालसा भूमि अवश्य आई हुई है जिसमें अप्रार्थी संख्या एक ने बजट से सी.सी.रोड बना रखा है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो व अन्य पट्टेधारियों के भूखण्ड के किनारे पर भूखण्ड की सरहद पर जोधपुर पट्टियां खड़ी की हुई है तथा पट्टियों के आगे गली में सी.सी.रोड बना हुआ है तथा मौके पर आवाजाही चालू है। यह है कि ग्राम पंचायत भावरी ने स्वयं की भूमि का नियमानुसार नियम 167(1) के तहत कार्यवाही कर एवं उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या दो व अन्य पट्टेधारियों को अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही की बैठक दिनांक 28.04.2011 में प्रस्तुत की एवं जिला परिषद सामान्य सभा की बैठक दिनांक 28.04.2011 में उक्त पत्रावली पर संवीक्षा कर पत्रावलियों के संबंध में पंचायत प्रसार

जिला कलेक्टर, सिरोही

अधिकारी जिला कलेक्टर कार्यालय सिरोही की पत्रावली के संबंध में जांच प्रतिवेदन अनुसार नियमानुसार कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा को ध्यान में रखकर तथा नियमानुसार उक्त पत्रावली का सदन द्वारा अनुमोदन कर संबंधित विभाग व उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना कार्यालय जिला परिषद सिरोही द्वारा दिनांक 04.05.2011 को प्रेषित की थी उसके पश्चात अप्रार्थी संख्या एक द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर दिनांक 24.08.2011 को अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है तथा उक्त पट्टे का नियमानुसार उपपंजीयक कार्यालय भावरी (सरूपगंज) के कार्यालय में दिनांक 25.08.2011 को पंजीयन करवाया गया है। यह है कि उक्त पट्टा दिनांक 24.08.2011 को जारी हुआ है एवं इस संबंध में मिसल संधारण सन् 2007 में किया गया था इस प्रकार उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है जो अत्यधिक देरीना प्रस्तुत किया गया है जिससे उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र अवधिबार होने से खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि उक्त पट्टे का नियमानुसार पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय भावरी द्वारा किया गया है एवं पंजीयनशुदा दस्तावेज को सक्षम सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं है। यह है कि प्रार्थी का इस पट्टेशुदा भूमि से कोई लेना-देना नहीं है। अप्रार्थी संख्या दो को हैरान परेशान करने की नियत से प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए अप्रार्थी संख्या दो प्रार्थी से विशेष हर्जाना के रूपए 20,000/- प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज करना फरमाकर अप्रार्थी संख्या दो को प्रार्थी से विशेष हर्जाना रूपए 20,000/- दिलाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभौति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

सरपंच ग्राम पंचायत भावरी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 144 सपठित नियम 156 के तहत पट्टा संख्या 32304 दिनांक 24.08.2011 को जारी किया गया है। जहां तक अप्रार्थी संख्या 2 के लायक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किया गया है इस संबंध में विधिक दृष्टान्त डीएनजे 1999 पेज 781, 437 डीएनजे 1996 पेज 100 आरजेटी 2016(1) पेज 99 एसएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, आरएलडब्लू 1997(3) राजस्थान पेज 1567 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियों जिला कलेक्टर को दी गई है । राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग अभिनिर्धारित न्यायोचित अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है साथ ही न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी ।

अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किये जाने का कथन है, कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र 8 साल बाद प्रस्तुत किया है अप्रार्थी संख्या 2 का यह कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी प्रस्तुत विधिक दृष्टान्तों में पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करना माना गया है, एवं ऐसे प्रकरण में भी समयावधि के बारे में उचित अवधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 144 के अनुसार-

जिला कलेक्टर, सिरोही

- 144.-भूमि-पट्टी का आवंटन-** (1). पंचायत 100 वर्गगज तक की कोई भूमि पट्टी निवासीय प्रयोजनों के लिए और 200 वर्गफुट तक की भूमि पट्टी वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विद्यमान बाजार मूल्य पर आवंटित कर सकेगी।
 (2). भूमि पट्टी केवल उन्हीं व्यक्तियों को आवंटित की जाएगी जिनका विद्यमान मकान/दुकान ऐसी पट्टी से लगी हुई है और उसके लिए अन्य कोई आवेदक नहीं है।
 (3). एक से अधिक व्यक्तियों के मकानों/दुकानों के पट्टी से लगी हुई होने के मामले में उन्हें नीलाम किया जाएगा।

एवं राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 156 के अनुसार-

- 156.-प्राइवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अंतरण-** (1) पंचायत किसी भी आबादी भूमि को प्राइवेट बातचीत के द्वारा विक्रय के जरिये निम्नलिखित मामलों में अंतरिम कर सकेगी-
- (क) जहां किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्यायसंगत हो और नीलाम से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती हो।
 (ख) जहां कोई अतिचार हो या लेखबद्ध किये जाने वाले किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझती कि नीलाम उस भूमि के निर्वर्तन का कोई सुविधाजनक ढंग नहीं होगा, और
 (ग) जहां तक नियम 144 के उप-नियम (1) और (2) के अनुसार भूमि की कोई पट्टी हो और एक ही आवेदक हो।


पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत भावरी तहसील पिण्डवाडा द्वारा राजस्थान पंचायत नियम 144 (भूमि पट्टी का आवंटन) सपटित नियम 156 (आपसी बातचीत से भूमि विक्रय) अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या दो को 159.5 वर्गफीट का विक्रय विलेख राजस्थान पंचायत नियम 154 अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन करने के उपरान्त बाजार दर जमा कर विहित पट्टा प्रारूप में जारी किया गया है। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को 159.5 वर्गफीट का जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार यह भूमि रास्ता भूमि है एवं इसी भूमि का पूर्व में राजस्थान पंचायत नियम 1961 के नियम 266 (निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण) अन्तर्गत श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री सुआलाल एवं श्री मोहनलाल पुत्र श्री सुआलाल निवासी भावरी को पट्टा संख्या 68, 69 दिनांक 28.03.1991 को जारी किया गया, लेकिन बाद जांच जारी पट्टा नियम विरुद्ध जारी किया जाना पाया जाने पर पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही में निगरानी प्रस्तुत की। यह है कि न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा उक्त पट्टा संख्या 68 व 69 को दिनांक 22.07.1997 को पारित निर्णय में नियम विरुद्ध जारी पट्टों को निरस्त किया गया। यह है कि न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध श्री ओमप्रकाश व श्री मोहनलाल ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश पिण्डवाडा में वाद प्रस्तुत किया जो क्रमांक 17/2000 पर दर्ज रजिस्टर हुआ। उक्त वाद में सरपंच ग्राम पंचायत भावरी को प्रतिवादी बनाया गया। यह है कि वाद संख्या 17/2000 के जवाब में प्रतिवादी सरपंच ग्राम पंचायत भावरी ने स्वीकार किया है कि सरूपगंज में भावरी चौराहा के निकट प्रार्थना पत्र में वर्णित भूखण्ड पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश पिण्डवाडा द्वारा पारित निर्णय में पट्टे की भूमि रास्ता की भूमि पर नाजायज कब्जा के आधार पर पट्टा न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा खारिज किया जाना उचित माना एवं श्री ओमप्रकाश एवं श्री मोहनलाल द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से के अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत भावरी द्वारा रास्ता भूमि को भूमि पट्टी मानकर पट्टा जारी किया

जिला कलक्टर, सिरोही

गया है एवं रास्ता की भूमि, भूमि पट्टी की श्रेणी में नहीं आती है एवं पंचायत को रास्ता की भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी श्री नारायणलाल पुरोहित द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरौही को अप्रार्थीगण के विरुद्ध शिकायत की जांच पंचायत समिति स्तर पर गठित जांच दल द्वारा की गई। उक्त जांच में यह माना है कि ग्राम पंचायत भावरी द्वारा श्री ओमप्रकाश व उसके परिजनों को जारी पट्टे आम गली में जारी किए गए हैं। ग्राम पंचायत को आम रास्ता की भूमि का विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। पूर्व में न्यायालय जिला कलक्टर सिरौही द्वारा खारिज किए गए पट्टा संख्या 68 व 69 की भूमि पर से अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया था एवं बाद में गलत तथ्य प्रस्तुत कर पंचायत से पट्टे जारी करवाए गए हैं। उपरोक्त अनियमितताओं एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत AIR 2021 SC Page 816 के अवलोकन से यह न्यायालय ग्राम पंचायत भावरी द्वारा जारी पट्टा संख्या 32302 दिनांक 24.08.2011 को न्यायसंगत नहीं मानता है। जहां तक अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा किया गया पंजीकृत पट्टे का सवाल है तो इस न्यायालय की लाईब्रेरी में उपलब्ध विधिक दृष्टांत 2018 (3) RLW 2325 Raj घेवरचंद बनाम राजस्थान सरकार में बताया गया है कि Registration of a patta is only a Consequential event and when the pattas are found to have been issued contrary to the obtaining rules, the mere registration thereof cannot be treated as a safe harbor. The cancellation of said patta by the competent authority will also thus entail would follow consequences in law rendering the registration thereof ineffective and inconsequential. अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत भावरी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 32304 दिनांक 24.08.2011 क्षेत्रफल वर्गफीट 159.5 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।




(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही